

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 8-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 222-A / 2024

वादीगण-

1. भंवरी देवी पत्नी स्व. गेनाराम जाति जाट, निवासी- कठौती, तहसील जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. शिव राज पुत्र स्व.गेनाराम
2. महेश मालाणी पुत्र स्व.गेनाराम
3. सुमन मालाणी पुत्री स्व.गेनाराम समस्त जातियान-जाट, निवासीगण कठौती, जायल।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व राजेन्द्र सिंह ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि- मौजा कठौती में खाता 160 के खेत खसरा नंबर 2278/879 रकबा 1.4569 हैक्टैयर भूमि एक मात्र खातेदार वादिया भंवरी देवी पत्नी स्व.गेनाराम की खातेदारी में घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं राजीनामा के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

1. वादी संख्या 1 भंवरी देवी पत्नी स्व.गेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 2278/879 रकबा 1.4569 हैक्टैयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
3. बैंक के रहन खसरान् बैंक के रहन यथावत रहेंगे तथा संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

